



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19

नया, रायपुर (छ.ग.) 492002

ई-मेल- hocecb@gmail.com

क्र. 1158/सू.अ./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2018

नया रायपुर, दिनांक 26/4/2018

प्रति,

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार),
डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी मार्ग,
खरसिया,
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
पिन नं.- 496661
मो. नं.- 9406125251

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नियत अपील दिनांक 24.04.2018 के संबंध में।

संदर्भ :- दिनांक 24.04.2018 को नियत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश।

—:: 00 ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 24.04.2018 को नियत अपील के संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश के परिपालन में मंडल मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ को जांच हेतु भेजे गये पत्रों की छायाप्रति एवं जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की प्रति जिसके अंतर्गत पैथोलॉजी लेब भी आता है, की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(ए. के. त्रिवेदी)

जनसूचना अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 1159 /सू.अ./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2018 नया रायपुर, दिनांक 26/4/2018

प्रतिलिपि:- अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर आपके आदेश दिनांक 24.04.2018 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(ए. के. त्रिवेदी)

जनसूचना अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)



मुख्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 6153 / मुख्या. / वैज्ञा. / छ.ग.पं.सं.मं. / 2018

नया रायपुर दिनांक 5/2/2018

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ द्वारा धनवन्तरी पैथालॉजी लैब, खरसिया को नियमों, अधिसूचना के विपरीत अर्थोरिजिशन हेतु अनुशंसा पत्र भेजने बाबत।

---: 00 :---


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत धनवन्तरी पैथालॉजी लैब, खरसिया, जिला- रायगढ़ के ऑर्थोरिजिशन के संबंध में शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण के निराकरण हेतु, समाधान कारक कार्यवाही करते हुए वस्तुस्थिति की जानकारी से मंडल मुख्यालय को अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

०७

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नया रायपुर (छ.ग.)

॥ सत्यमेव जयते ॥



STD : (07762)

Ph. : 272333 (R)

: 272206 (O)

Mob.:9406125251

ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार)

डॉ. श्यामसुन्दर मुकर्जी मार्ग, खरसिया
जिला रायगढ़ (छ.ग.), पिन-496661

सत्य सैन्य दिनांक 27/01/18

जावक कार्यवाही हेतु

10-01-2018

सचिव

भारतीय रेडक्रास सोसायटी
खरसिया ब्रांच

प्रति

*

पूर्व अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद्

खरसिया

*

संरक्षक

श्री शंकराचार्य पब्लिक
स्कूल, खरसिया

*

ट्रस्टी

कन्या कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरसिया

*

पूर्व अध्यक्ष

पत्रकार संघ, खरसिया

*

कार्यकर्ता

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

*

संरक्षक

मदन मोहन गौशाला
खरसिया

माननीय श्री राजेश मुणत जी,
मंत्री छ.ग. शासन लोकनिर्माण, एवं पर्यावरण विभाग
रायपुर (छ.ग.) एवं पर्यावरण, परिवहन
छत्तीसगढ़ शासन

विषय :- क्षेत्रिय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण मंडल रायगढ़ द्वारा धनवन्तरि पैथालोंजी लैब को
नियमों, अधिसूचना के विपरीत अर्थोरिजिशन हेतु अनुसंसा पत्र भेजने बाबत।
संदर्भ :- भारत राजपत्र संस्था क्रमांक 1971 दिनांक 28 मार्च 2016

महोदय,

1. निवेदन है कि क्षेत्रिय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण मंडल रायगढ़ द्वारा भारत सरकार तथा छ.ग. सरकार के आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं तथा गाईड लाईन के विपरीत आचरण कर पैथालोंजी लैब संचालकों को अनाधिकृत लाभ पहुंचाया जा रहा है।
2. यह कि उनके द्वारा वास्तविकता के विपरीत भारत सरकार का राजपत्र भाग 11 खण्ड 3 उपखण्ड (4) दिनांक 28 मार्च 2016 के नियम तीन के क से ठ नियम चार के क से ढ तक नियम पांच के थ तक का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रिय कार्यालय रायगढ़ के समस्त अधिकारी का नियमों के उल्लंघन में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
3. उपरोक्त भारत के राजपत्र के नियम 6 में प्राधिकारियों के सहयोग के अनुसूचि के स्तंभ तीन यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और अनुचित प्रकार से भ्रष्टाचार व स्वयं हित में कानूनों को तोड़ मरोड़ कर प्रतिवेदन तथा स्थल जांच की झूठी फर्जी रिपोर्ट तैयार कर छ.ग. शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर को गुमराह कर अर्थोरिजिशन पत्र दिलाया जा रहा है।
4. इनके द्वारा वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में भी फर्जीदंग से अर्थोरिजिशन दिलाया गया है, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है।

अतः निवेदन है कि धनवन्तरि पैथालोंजी लैब जिसको अर्थोरिजिशन के लिए प्रस्ताव अनुसंसा सहित भेजा गया है उनकी नवीनीकरण को पूर्व से दिए गए अर्थोरिजिशन प्रस्ताव को नियमों के अनतर्गत प्रदेश शासन संरक्षक अधिकारी से आवेदक की उपस्थिति में जांच कराने का आदेश प्रदान करें तथा बिना अर्थोरिजिशन कार्यस्त धनवन्तरि पैथालोंजी लैब खरसिया को तत्काल सील कर बन्द कराने तथा उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्यवाही कराने की कृपा करें।

सादर

जावक क्र. 554 दिनांक 27/01/18
मंत्री, लो.नि./आ.पर्या
परिवहन/छ.ग. शासन

भवदीय

ओमप्रकाश गुप्ता
ओमप्रकाश गुप्ता
खरसिया

urgent

राजेश मुणत
27/01/18

AS/SSO



मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, सेक्टर - 19, नया रायपुर (छ.ग.) पिन 492002
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 1119 /सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./ 2018

नया रायपुर, दिनांक 24/4 /2018

:: आदेश ::

आवेदक श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार), डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग, खरसिया, जिला-रायगढ़ से प्राप्त अपील आवेदन दिनांक 28.03.2018 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 14646 दिनांक 02.04.2018 की सुनवाई दिनांक 24.04.2018 को 3:00 बजे से की गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री ओम प्रकाश गुप्ता उक्त दिनांक को उपस्थित नहीं थे। उक्त दिनांक को मंडल मुख्यालय से श्री ए.के. त्रिवेदी, मुख्य रसायनज्ञ/जनसूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ के प्रतिनिधि श्री पिरदा उपस्थित थे। अपीलीय अधिकारी द्वारा संबंधित पक्षकारों को सूना गया और मेरिट के आधार पर निम्नलिखित जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने बाबत निर्देशित किया गया :-

1. क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर संबंधित नस्ती की छायाप्रति।
2. क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण रिपोर्ट जिसमें प्राधिकार जारी किये जाने बाबत अनुशंसा दर्ज है।
3. वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक संस्थान को जारी किये गये प्राधिकार पत्र की छायाप्रति, जिसमें जारी करने वाले व्यक्ति का पदनाम का उल्लेख हो।
4. मंडल मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को जाँच हेतु भेजे गये पत्रों की छायाप्रति।
5. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की प्रति जिसके अंतर्गत पैथोलॉजी लेब भी आता है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा यह भी आदेशित किया गया कि आवेदक को उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 02 मई 2018 तक उपलब्ध करायी जाये।

(आर.पी. तिवारी)

अपीलीय अधिकारी एवं
मुख्य अभियंता (प्रभारी)
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 24/4 /2018

पृ० क्रमांक 1120/सू.अधि./छ.ग.प.सं.मं./2018
प्रतिलिपि:-

1. श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार), डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग, खरसिया, जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री आर.के शर्मा, जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री ए.के. त्रिवेदी, मुख्य रसायनज्ञ, जनसूचना अधिकारी मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर.पी. तिवारी)

अपीलीय अधिकारी एवं
मुख्य अभियंता (प्रभारी)
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)

टीप

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदक श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार), डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) 496661

संदर्भ :- मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 606 एवं पृष्ठांकन पत्र क्रमांक 608
दिनांक 13.04.2018.



उपरोक्त अपील के संबंध में प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

आवेदक श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार), डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.), के संबंध में छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के माध्यम से प्राप्त आवेदन (इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 26.02.2018) की छायाप्रति संलग्न है। (पताका-क) पत्रानुसार संबंधित जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ से संबंधित होने के कारण (बिन्दु क्रमांक 05 एवं 06 को छोड़कर) आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध कराने बाबत मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 6756 दिनांक 28.02.2018 के माध्यम से जन सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, क्षे. कार्या. छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ को आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध कराते हुये मंडल मुख्यालय को सूचित करने बाबत पत्र प्रेषित किया गया (छायाप्रति संलग्न (पताका-क1) क्षेत्रीय अधिकारी रायगढ़ द्वारा आवेदक को जानकारी उपलब्ध करायी गई अथवा नहीं, कि जानकारी वर्तमान तक अप्राप्त है।

आवेदन के बिन्दु क्रमांक 05 एवं 06 की जानकारी मुख्यालय से संबंधित होने के कारण आवेदक से राशि मंगाने बाबत मंडल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 7031 दिनांक 12.03.2018 के द्वारा आवेदक को पत्र प्रेषित किया गया छायाप्रति संलग्न है। (पताका-क2), जिसके संदर्भ में वर्तमान तक आवेदक द्वारा जानकारी प्राप्त करने बाबत मंडल मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर में कोई राशि जमा नहीं कराया गया है।

प्रतिवेदन कृपया अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Dr. Gaur
16/4/18

16/4/18
16/4

16/4/18
(ए. के. त्रिवेदी)
जनसूचना अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
Email Id : henv.cg@nic.in



क्र. एफ 10-09/2018/32/सू0अधि0
पत्रि

नया रायपुर, दिनांक २१/०२/२०१८


सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सूचना के अधिकार के तहत जानकारी - श्री ओम प्रकाश गुप्ता, पत्रकार,
खरसिया रायगढ़।


—00—


सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री ओम प्रकाश गुप्ता,
पत्रकार, द्वारा प्राप्त आवेदन दिनांक 14.02.2018 का निकट संबंध आप से होने के
कारण आवेदन मूलतः आपकी ओर हस्तांतरित किया जाता है।

2/ कृपया नियमानुसार आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न :- यथोपरि।


26/2/18
(रिजीना टॉप्पा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृष्ठां क्र. एफ 10-09/2018/32/सू0अधि0 नया रायपुर, दिनांक /02/2018
प्रतिलिपि :- श्री ओम प्रकाश गुप्ता, पत्रकार, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग,
खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.) छत्तीसगढ़। कृपया उक्त जानकारी हेतु पर्यावरण
संरक्षण मण्डल के जनसूचना अधिकारी से पत्र व्यवहार करने का कष्ट करें।


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग



प्रकाश गुप्ता (पत्रकार)

श्यामाप्रसाद मुकर्जी मार्ग, खरसिया
जला रायगढ़ (छ.ग.), पिन-496661

दिनांक

14-02-2018

सचिव

प्रति,

भारतीय रेडक्रास सोसायटी
खरसिया ब्रांच

जनसूचना अधिकारी

छ.ग.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

पूर्व अध्यक्ष

विषय:- आदरणीय श्री राजेश मूणत मंत्री छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग को दिये गये आवेदन पत्र दि.10.01.2018 जिनसे मंत्री जी के कार्यालय द्वारा दि.11.01.2018 प्राप्त कर अभिस्वीकृति दी गई है में की र्ग जांच, कार्यवाही की नकल मिलने बाबत।

नगर पालिका परिषद
खरसियासंदर्भ:- क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग.पर्यावरण मंडल रायगढ़ द्वारा धनवंतरी पैथोलाजी लेब को नियमों, अधिसूचना के विपरीत आर्थोरीजेशन हेतु अनुशंसा पत्र भेजने बाबत।
महोदय,

संरक्षक

श्री शंकराचार्य पब्लिक
स्कूल, खरसिया

निवेदन है कि सूचना की मांग का आवेदन पत्र शुल्क दस रूपया का भारतीय गैर न्यायिक स्टॉप क 15AA359674 दिनांक 24.01.2018 संलग्न कर निम्न जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

*

ट्रस्टी

कन्या कला एवं वाणिज्य
स्नात्कोत्तर महाविद्यालय,
खरसिया

- माननीय श्री राजेश मूणत जी मंत्री पर्यावरण विभाग को आवेदक की ओर से संदर्भित विषय में एक आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2018 जिसे कार्यालय में 11.01.2018 को पावती प्राप्त की गई थी छायाप्रति संलग्न है।
- उक्त पत्र की बिन्दु क. 1 से 4 तक में कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई बिन्दुवार जानकारी की नकल दें।
- धनवंतरी पैथोलॉजी लेब खरसिया को लेब चलाने के लिये 2014-15 से 2017-18 तक अर्थोरिजेशन दिया गया है उसकी संपूर्ण नस्तीयों की नकल दें।
- छ.ग.क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण मंडल रायगढ़ द्वारा उक्त अवधि में अर्थोरिजेशन के लिये की गई अनुशंसा प्रस्तावों की संपूर्ण नकल दें। वर्ष 2014-15 से अर्थोरिजेशन पत्र छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग से जारी करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम तथा पदनाम या पदस्थापना आदेश की नकल दें। (जिससे सक्षम न्यायालय या लोकायुक्त रायपुर में प्रकरण में न्याय प्राप्त हेतु याचिका/आवेदन दिया जा सके।)
- छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ से भी कोई जांच या अन्य कोई पत्र भेजा गया हो और उनका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो उससे संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की नकल दें।
- पैथोलाजी लेब संचालन के लिये छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग द्वारा क्या नियम, अधिनियम, गाइडलाईन वर्तमान तक में क्या है उसके उस भाग की नकल दें।

पूर्व अध्यक्ष

पत्रकार संघ, खरसिया

*

कार्यकर्ता

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

*

संरक्षक

मदन मोहन गौशाला
खरसिया

सहपत्र - एक + एक = दो

भवदीय
ओमप्रकाश गुप्ता
ओमप्रकाश गुप्ता /14-2-2018

॥ सत्यमेव जयते ॥

श्री प्रकाश गुप्ता (पत्रकार)

श्यामाप्रसाद मुकर्जी मार्ग, खरसिया
जिला रायगढ़ (छ.ग.), पिन-496661

STD : (07762)
Ph. : 272333 (R)
: 272206 (O)
Mob.:9406125251

दिनांक

10-01-2018

सचिव

भारतीय रेडक्रास सोसायटी
खरसिया ब्रांच

*

पूर्व अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद्
खरसिया

*

संरक्षक

श्री शंकराचार्य पब्लिक
स्कूल, खरसिया

*

ट्रस्टी

कन्या कला एवं वाणिज्य
स्नात्कोत्तर महाविद्यालय,
खरसिया

*

पूर्व अध्यक्ष

पत्रकार संघ, खरसिया

*

कार्यकर्ता

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

*

संरक्षक

मदन मोहन गौशाला
खरसिया

प्रति,

माननीय श्री राजेश मुण्डत जी
मंत्री छ.ग. शासन लोक निर्माण एवं पर्यावरण विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- क्षेत्रिय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण मंडल रायगढ़ द्वारा धनवन्तरि पैथालॉजी लैब को
नियमों, अधिसूचना के विपरीत अर्थोरिजिशन हेतु अनुसंसा पत्र भेजने बाबत।

संदर्भ :- भारत राजपत्र संस्था क्रमांक 1971 दिनांक 28 मार्च 2016

महोदय,

1. निवेदन है कि क्षेत्रिय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण मंडल रायगढ़ द्वारा भारत सरकार तथा छ.ग. सरकार के आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं तथा गाईड लाईन के विपरीत आचरण कर पैथालॉजी लैब संचालकों को अनाधिकृत लाभ पहुंचाया जा रहा है।
2. यह कि उनके द्वारा वास्तविकता के विपरीत भारत सरकार का राजपत्र भाग 11 खण्ड 3 उपखण्ड (प) दिनांक 28 मार्च 2016 के नियम तीन के क से ठ नियम चार के क से ढ तक नियम पांच के थ तक का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रिय कार्यालय रायगढ़ के समस्त अधिकारी का नियमों के उल्लंघन में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
3. उपरोक्त भारत के राजपत्र के नियम 6 में प्राधिकारियों के सहयोग के अनुसूचि के स्तंभ तीन यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और अनुचित प्रकार से भ्रष्टाचार व स्वयं हित में कानूनों को तोड़ मरोड़ कर प्रतिवेदन तथा स्थल जांच की झूठी फर्जी रिपोर्ट तैयार कर छ.ग. शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर को गुमराह कर अर्थोरिजिशन पत्र दिलाया जा रहा है।
4. इनके द्वारा वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में भी फर्जीदंग से अर्थोरिजिशन दिलाया गया है, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है।

अतः निवेदन है कि धनवन्तरि पैथालॉजी लैब जिसको अर्थोरिजिशन के लिए प्रस्ताव अनुसंसा सहित भेजा गया है उनकी नवीनीकरण को पूर्व में दिए गए अर्थोरिजिशन प्रस्ताव को नियमों के अनतर्गत प्रदेश शासन द्वारा अधिकारी से आवेदक की उपस्थिति में जांच कराने का आदेश प्रदान करें तथा बिना अर्थोरिजिशन कार्यरत धनवन्तरि पैथालॉजी लैब खरसिया को तत्काल सील कर बन्द कराने तथा उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्यवाही कराने की कृपा करें।

सादर

स्व प्रकाश गुप्ता

श्री प्रकाश गुप्ता

भवदीय
श्री प्रकाश गुप्ता
ओमप्रकाश गुप्ता
खरसिया

॥ सत्यमेव जयते ॥

अ प्रकाश गुप्ता (पत्रकार)

STD : (07762)

Ph. : 272333 (R)

: 272206 (O)

Mob.:9406125251

श्यामाप्रसाद मुकर्जी मार्ग, खरसिया
जला रायगढ़ (छ.ग.), पिन-496661

दिनांक

सचिव

20-01-2018

भारतीय रेडक्रास सोसायटी
खरसिया ब्रांच

प्रति,

माननीय सजय शुक्ला जी
सचिव महोदय



आवास एवं पर्यावरण छ.ग. शासन
मंत्रालय नया रायपुर (छ.ग.)

*
पूर्व अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद्

खरसिया

विषय :- क्षेत्रिय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण मंडल द्वारा धनवन्तरि पैथालॉजी लैब को नियमों, अधिसूचना के विपरीत अनुमति देने बाबत।

संदर्भ :- भारत राजपत्र संस्था क्रमांक 1971 दिनांक 28 मार्च 2016

*
संरक्षक

श्री शंकराचार्य पब्लिक
स्कूल, खरसिया

महोदय,

1. निवेदन है कि क्षेत्रिय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण मंडल रायगढ़ द्वारा भारत सरकार तथा छ.ग. सरकार के आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं तथा गाईड लाईन के विपरीत आचरण कर पैथालॉजी लैब संचालकों को अनाधिकृत लाभ पहुंचाया जा रहा है।
2. यह कि उनके द्वारा वास्तविकता के विपरीत भारत सरकार का राजपत्र भाग 11 खण्ड 3 उपखण्ड (प) दिनांक 28 मार्च 2016 के नियम तीन के क से ठ नियम चार के क से ढ तक नियम पांच के थ तक का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रिय कार्यालय रायगढ़ के समस्त अधिकारी का नियमों के उल्लंघन में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
3. उपरोक्त भारत के राजपत्र के नियम 6 में प्राधिकारियों के सहयोग के अनुसूचि के स्तंभ तीन यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और अनुचित प्रकार से भ्रष्टाचार व स्वयं हित में कानूनों को तोड़ मरोड़ कर प्रतिवेदन तथा स्थल जांच की झूठी फर्जी रिपोर्ट तैयार कर छ.ग. शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर को गुमराह कर अर्थोरिजेशन पत्र दिलाया जा रहा है।
4. इनके द्वारा वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में भी फर्जीदंग से अर्थोरिजेशन दिलाया गया है, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है।

अतः निवेदन है कि धनवन्तरि पैथालॉजी लैब को विधि विपरीत अनुमति दिया गया है, जिसके फलस्वरूप जनता को आर्थिक, शारिरिक, मानसीक क्षति पहुंच रही है।

अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार कर धनवन्तरि पैथालॉजी लैब को निरस्त करने की कृपा करें।

सादर

18 FEB 2018

M.S.

शुभदीय
ओमप्रकाश गुप्ता
ओमप्रकाश गुप्ता
खरसिया

*
कार्यकर्ता

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

*
संरक्षक

मदन मोहन गौशाला
खरसिया

सचिव/आवास एवं पर्यावरण विभाग
दिनांक 13/02/2018

Handwritten signatures and dates: 15/2, 15/2, 15/2



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19

नया, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 6756/सू.अ./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2018

रायपुर, दिनांक 28/2/2018

प्रति,

जन सूचना अधिकारी / क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भ :- छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ- 10-09/2018/32/सू0 अधि0 दिनांक 21.02.2018, मंडल मुख्यालय में आवक क्रमांक 13340 व दिनांक 26.02.2018.

—: 00 :—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के जानकारी बाबत श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार), डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी मार्ग, खरसिया जिला-रायगढ़ के संदर्भित पत्र छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 26.02.2018 की छायाप्रति संलग्न है। पत्रानुसार संबंधित जानकारी (बिन्दु क्रमांक 05 एवं 06 को छोड़कर) कृपया आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध कराते हुये मंडल मुख्यालय को सूचित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(ए. के. त्रिवेदी)

जनसूचना अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 6757/सू.अ./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2018 नया रायपुर, दिनांक 28/2/2018

- प्रतिलिपि:-
1. अपर सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर पत्र क्रमांक एफ-10-09/2018/32/सू0 अधि0 दिनांक 21.02.2018 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
 2. श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार), डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी मार्ग, खरसिया जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(ए. के. त्रिवेदी)

जनसूचना अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नया रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19

नया, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 7031/सू.अ./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2018

रायपुर, दिनांक 12/3/2018

प्रति,

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार),

डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी मार्ग,

खरसिया,

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

पिन नं.- 496661

मो. नं.- 9406125251

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पृष्ठांक पत्र क्रमांक 6757 दिनांक 28.02.2018.

—:: 00 ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ को इस कार्यालय पत्र क्रमांक 6756 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा प्राप्त आवेदन की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही बाबत पत्र प्रेषित किया गया है। प्राप्त आवेदन के बिन्दु क्रमांक 05 एवं 06 की जानकारी कुल 41 पेजों की है। अतः 2.00 रुपये प्रति पेज की दर से कुल रुपये 82.00 (बयासी रुपये मात्र) नगद या डीमांड ड्राफ्ट सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर के नाम से इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें, ताकि जानकारी प्रदाय की जा सके।

ok

(ए. के. त्रिवेदी)

जनसूचना अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नया रायपुर (छ.ग.)



मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, सेक्टर - 19, नया रायपुर (छ.ग.) पिन 492002
Email add- hocecb@gmail.com

क्र. 606 / ज.सू. / छ.ग.प.सं.मं. / 2018
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 13/9/2018

- 1 श्री ए.के. त्रिवेदी,
जनसूचना अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)
- 2 जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत अपील
संदर्भ:- श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार), डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग, खरसिया,
जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से प्राप्त अपील आवेदन दिनांक 28/03/2018 इस
कार्यालय में आवक क्रमांक 14646, दिनांक 02/04/2018

—:: 000 ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अपील का अवलोकन करे। अपील की प्रति संलग्न है। अपीलार्थी ने जानकारी से संतुष्ट नहीं होने के कार व्यथित होकर प्रथम अपील मेरे समक्ष प्रस्तुत की है। इस अपील पर आप अपना प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करे, साथ ही अपील की सुनवाई 24/04/2018 को समय 3.00 PM बजे मंडल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नया रायपुर में रखी गई है। कृपया आप अपील की सुनवाई में निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होने का कष्ट करें।


(अ.प. तिवारी)

अपीलीय अधिकारी एवं
मुख्य अभियंता (प्रभारी)
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)



मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, सेक्टर - 19, नया रायपुर (छ.ग.) पिन 492002
Email add- hocecb@gmail.com

क्र. 607 / ज.सू. / छ.ग.प.सं.मं. / 2018
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 13/4/2018

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार),
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग,
खरसिया,
जिला-रायगढ़ (छ.ग.) 496661

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत अपील की सुनवाई के संबंध में।

संदर्भ :- आपका अपील आवेदन दिनांक 28/03/2018 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 14646, दिनांक 02/04/2018

--:: 000 ::--

उपरोक्त विषयांतर्गत आपसे प्राप्त अपील आवेदन दिनांक 28/03/2018 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 14646, दिनांक 02/04/2018 की सुनवाई दिनांक 24/04/2018 को समय 3:00pm बजे मंडल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर - 19, नया रायपुर में रखी गई है। कृपया आप अपील की सुनवाई में निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(आर.पी. तिवारी)

अपीलीय अधिकारी एवं
मुख्य अभियंता (प्रभारी)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्र. 608 / ज.सू. / छ.ग.प.सं.मं. / 2018
प्रतिलिपी :-

नया रायपुर, दिनांक 13/4/2018

1. श्री ए.के. त्रिवेदी, जनसूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया आप इस तिथि व समय पर अपील के संबंध में तैयारी के साथ उपस्थित होंगे।
2. जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया आप इस तिथि व समय पर अपील के संबंध में तैयारी के साथ उपस्थित होंगे।

(आर.पी. तिवारी)

अपीलीय अधिकारी एवं
मुख्य अभियंता (प्रभारी)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)

॥ सत्यमेव जयते ॥

STD : (07762,
Ph. : 272333 (R)
: 272206 (O)
Mob.:9406125251

ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार)

डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी मार्ग, खरसिया
जिला रायगढ़ (छ.ग.), पिन-496661



दिनांक 28-03-2018

सचिव

भारतीय रेडक्रास सोसायटी
खरसिया ब्रांच

*

पूर्व अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद्
खरसिया

*

संरक्षक

श्री शंकराचार्य पब्लिक
स्कूल, खरसिया

*

ट्रस्टी

कन्या कला एवं वाणिज्य
स्नात्कोत्तर महाविद्यालय,
खरसिया

*

पूर्व अध्यक्ष

पत्रकार संघ, खरसिया

*

कार्यकर्ता

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

*

संरक्षक

मदन मोहन भौशाला
खरसिया


प्रति,

प्रथम अपील अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नया रायपुर (छ.ग.)
ओमप्रकाश गुप्ता, खरसिया

— — — आवेदक

विरुद्ध

✓ श्री ए.के.त्रिवेदी जनसूचना अधिकारी
एवं छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर
जनसूचना अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी
एवं छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़
माननीय महोदय



— — — अनावेदक

— — — अनावेदक

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1)के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत है प्रथम अपील शुल्क भारतीय गैर न्यायिक क.ट 317204 दि 09.03.2018 संलग्न है। आगे इसे अधिनियम कहा जावेगा।

1. यह कि अपीलार्थी द्वारा सूचना की मांग का आवेदन पत्र जनसूचना अधिकारी क. 2 को दि. 14.02.2018 को प्रेषित किया गया छायाप्रति संलग्न।
2. यह कि श्री रेजिना टोप्पो अवर सचिव, छ.ग.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग नया रायपुर का पत्र क. एफ-10-09/2018/32/सु.अधि/नया रायपुर दि 21.02.2018 को सदस्य सचिव छ.ग.पर्यावरण मंडल रायपुर को भेज दिया गया छायाप्रति संलग्न है।
3. यह कि उत्तरवादी क.1 का पृष्ठांकित पत्र क. 6757/सू.अ./वैज्ञा/छ.ग.पं.सं.म/2018 नया रायपुर दिनांक 28.02.2018 को उत्तरवादी क.2 के पास बिन्दु क.5 तथा 6 को छोड़कर शेष बिन्दुओं की जानकारी आवेदक को देने हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसका पालन उनके द्वारा नहीं किया गया। छायाप्रति संलग्न है।
4. यह कि उत्तरवादी क.1 के द्वारा उक्त पत्र भेजे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि जानकारी का संबंध किसी अन्य प्राधिकारी से है तो अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत 5दिन में आवेदन पत्र या उसके उस भाग को अंतरित करना चाहिए था जो नहीं किया गया। इसलिये जानकारी देने की बाध्यता उत्तरवादी क.1 की ही है। यह कि उत्तरवादी क.1 के द्वारा बिन्दु क. 1 से 4 तक की जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराकर अधिनियम की धारा 7(1), 7(2) उलंघन किया गया है। उपरोक्त कारणों से यह प्रथम अपील सादर प्रस्तुत है।

अतः निवेदन है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1)के अंतर्गत यह प्रथम अपील स्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 7(6) के अंतर्गत उत्तरवादी से निशुल्क जानकारी उपलब्ध कराई जाने के निर्देश देने की कृपा करें।

Add Sec/CE(I/C)ACE(R/L)
SE(B/M/S)/SSO/EE/CC
PRO / SO (A/C) / Stf. O

MEMBER SECRETARY

भवदीय
ओमप्रकाश गुप्ता
ओमप्रकाश गुप्ता

सहपत्र पांच

10/4/18

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

भारत



सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

T 317204

प्रथम अधीन शुल्क पचास रुपया मात्र

अधीन शुल्क = उद्योग शुल्क एवं सेवा शुल्क

93928
e/3/2022



श्री श्री गणेशाय नमः
जति: श्री श्री गणेशाय नमः
जाती: श्री श्री गणेशाय नमः
वाक्य: श्री श्री गणेशाय नमः
वाक्य: श्री श्री गणेशाय नमः

श्री श्री गणेशाय नमः

रमेश कुमार अग्रवाल
स्टाम्प वेन्डर
खरसिया

॥ सत्यमेव जयते ॥

ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार)

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग, खरसिया
जिला रायगढ़ (छ.ग.), पिन-496661

STD : (077

Ph. : 272333

: 272206 (

Mob.:94061252

दिनांक

14-02-2018

सचिव

भारतीय रेडक्रास सोसायटी
खरसिया ब्रांच

*

पूर्व अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद्
खरसिया

*

संरक्षक

श्री शंकराचार्य पब्लिक
स्कूल, खरसिया

*

ट्रस्टी

कन्या कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरसिया

*

पूर्व अध्यक्ष

पत्रकार संघ, खरसिया

*

कार्यकर्ता

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

*

संरक्षक

मदन मोहन गौशाला
खरसिया

प्रति,

जनसूचना अधिकारी

छ.ग.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग *मंत्रालय*
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:- आदरणीय श्री राजेश मूणत मंत्री छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग को दिये गये आवेदन पत्र दि.10.01.2018 जिसे मंत्री जी के कार्यालय द्वारा दि.11.01.2018 प्राप्त कर अभिस्वीकृति दी गई है में की र्ग जांच, कार्यवाही की नकल मिलने बाबत।

संदर्भ:- क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग.पर्यावरण मंडल रायगढ़ द्वारा धनवंतरी पैथोलाजी लेब को नियमों, अधिसूचना के विपरीत आर्थोरीजेशन हेतु अनुशंसा पत्र भेजने बाबत। महोदय,

निवेदन है कि सूचना की मांग का आवेदन पत्र शुल्क दस रुपया का भारतीय गैर न्यायिक स्टॉप क 15AA359674 दिनांक 24.01.2018 संलग्न कर निम्न जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

1. माननीय श्री राजेश मूणत जी मंत्री पर्यावरण विभाग को आवेदक की ओर से संदर्भित विषय में एक आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2018 जिसे कार्यालय में 11.01.2018 को पावती प्राप्त की गई थी छायाप्रति संलग्न है।
2. उक्त पत्र की बिन्दु क. 1 से 4 तक में कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई बिन्दुवार जानकारी की नकल दें।
3. धनवंतरी पैथोलाजी लेब खरसिया को लेब चलाने के लिये 2014-15 से 2017-18 तक अर्थोरिजेशन दिया गया है उसकी संपूर्ण नस्तियों की नकल दें।
4. छ.ग.क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण मंडल रायगढ़ द्वारा उक्त अवधि में अर्थोरिजेशन के लिये की गई अनुशंसा प्रस्तावों की संपूर्ण नकल दें। वर्ष 2014-15 से अर्थोरिजेशन पत्र छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग से जारी करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम तथा पदनाम या पदस्थापना आदेश की नकल दें। (जिससे सक्षम न्यायालय या लोकायुक्त रायपुर में प्रकरण में न्याय प्राप्त हेतु याचिका/आवेदन दिया जा सके।)
5. छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ से भी कोई जांच या अन्य कोई पत्र भेजा गया हो और उनका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो उससे संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की नकल दें।
6. पैथोलाजी लेब संचालन के लिये छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग द्वारा क्या नियम, अधिनियम, गाइडलाइन वर्तमान तक में क्या है उसके उस भाग की नकल दें।

सहपत्र - एक

भवदीय

ओमप्रकाश गुप्ता

ओमप्रकाश गुप्ता 14-2-2018

ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार)

श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग, खरसिया
बला रायगढ़ (छ.ग.), पिन-496661

STD : (077)
Ph. : 272333
: 272206
Mob.: 9406125:

दिनांक

10-01-2018

सचिव

राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी
खरसिया ब्रांच

*

पूर्व अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद्
खरसिया

*

संरक्षक

श्री शंकराचार्य पब्लिक
स्कूल, खरसिया

*

ट्रस्टी

कन्या कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरसिया

*

पूर्व अध्यक्ष

पत्रकार संघ, खरसिया

*

कार्यकर्ता

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

*

संरक्षक

मदन मोहन गौशाला
खरसिया

प्रति,

माननीय श्री राजेश मुणत जी

मंत्री छ.ग. शासन लोक निर्माण एवं पर्यावरण विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- क्षेत्रिय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण मंडल रायगढ़ द्वारा धनवन्तरि पैथालोंजी लैब के नियमों, अधिसूचना के विपरीत अर्थोरिजिशन हेतु अनुसंसा पत्र भेजने बाबत।

संदर्भ :- भारत राजपत्र संस्था क्रमांक 1971 दिनांक 28 मार्च 2016

महोदय,

1. निवेदन है कि क्षेत्रिय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण मंडल रायगढ़ द्वारा भारत सरकार तथा छ.ग. सरकार के आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं तथा गाईड लाईन के विपरीत आचरण कर पैथालोंजी लैब संचालकों को अनाधिकृत लाभ पहुंचाया जा रहा है।
2. यह कि उनके द्वारा वास्तविकता के विपरीत भारत सरकार का राजपत्र भाग 11 खण्ड 3 उपखण्ड (1) दिनांक 28 मार्च 2016 के नियम तीन के क से ठ नियम चार के क से ड तक नियम पांच के थ तक का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रिय कार्यालय रायगढ़ के समस्त अधिकारी का नियमों के उल्लंघन में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
3. उपरोक्त भारत के राजपत्र के नियम 6 में प्राधिकारियों के सहयोग के अनुसूची के स्तंभ तीन यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और अनुचित प्रकार से भ्रष्टाचार व स्वयं हित में कानूनों को तोड़ मरोड़ कर प्रतिवेदन तथा स्थल जांच की झूठी फर्जी रिपोर्ट तैयार कर छ.ग. शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर को गुमराह कर अर्थोरिजिशन पत्र दिलाया जा रहा है।
4. इनके द्वारा वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में भी फर्जीदंग से अर्थोरिजिशन दिलाया गया है, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है।

अतः निवेदन है कि धनवन्तरि पैथालोंजी लैब जिसको अर्थोरिजिशन के लिए प्रस्ताव अनुसंसा सहित भेजा गया है उनकी नवीनीकरण को पूर्व से दिए गए अर्थोरिजिशन प्रस्ताव को नियमों के अनतर्गत प्रदेश शासन क्षेत्रिय अधिकारी से आवेदक की उपस्थिति में जांच कराने का आदेश प्रदान करें तथा बिना अर्थोरिजिशन कार्यरत धनवन्तरि पैथालोंजी लैब खरसिया को तत्काल सील कर बन्द कराने तथा उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्यवाही कराने की कृपा करें।

सादर

भवदीय

ओम प्रकाश गुप्ता
ओमप्रकाश गुप्ता
खरसिया

11/01/2018
कार्यालय
मंत्री

लोक निर्माण, आवास
एवं पर्यावरण, परिवहन
उत्तरीखण्ड शासन

खरसिया
ओमप्रकाश

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
Email Id : henv.cg@nic.in

क्र. एफ 10-09/2018/32/सू0अधि0
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक /02/2018

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सूचना के अधिकार के तहत जानकारी - श्री ओम प्रकाश गुप्ता, पत्रकार,
खरसिया रायगढ़।

—00—

R
24-2-2018

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री ओम प्रकाश गुप्ता,
पत्रकार, द्वारा प्राप्त आवेदन दिनांक 14.02.2018 का निकट संबंध आप से होने के
कारण आवेदन मूलतः आपकी ओर हस्तांतरित किया जाता है।

2/ कृपया नियमानुसार आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न :- यथोपरि।

हस्ता.
(रेजीना टोप्पो)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृष्ठां क्र. एफ 10-09/2018/32/सू0अधि0 नया रायपुर, दिनांक 21/02/2018
प्रतिलिपि श्री ओम प्रकाश गुप्ता, पत्रकार, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग,
खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.) छत्तीसगढ़। कृपया उक्त जानकारी हेतु पर्यावरण
संरक्षण मण्डल के जनसूचना अधिकारी से पत्र व्यवहार करने का कष्ट करें।

TC
ओम प्रकाश गुप्ता

21/2/18
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19

नया, रायपुर (छ.ग.)

सू.अ./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2018 रायपुर, दिनांक / /2018

प्रति,

जन सूचना अधिकारी / क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भ :- छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ- 10-09/2018/32/सू0 अधि0 दिनांक 21.02.2018, मंडल मुख्यालय में आवक क्रमांक 13340 व दिनांक 26.02.2018.

—: 00 :—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के जानकारी बाबत श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार), डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी मार्ग, खरसिया जिला-रायगढ़ के संदर्भित पत्र छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 26.02.2018 की छायाप्रति संलग्न है। पत्रानुसार संबंधित जानकारी (बिन्दु क्रमांक 05 एवं 06 को छोड़कर) कृपया आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध कराते हुये मंडल मुख्यालय को सूचित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(ए. के. त्रिवेदी)

जनसूचना अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 6757/सू.अ./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2018 नया रायपुर, दिनांक 28/2/2018

- प्रतिलिपि:-
1. अपर सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर पत्र क्रमांक एफ-10-09/2018/32/सू0 अधि0 दिनांक 21.02.2018 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
 2. श्री ओम प्रकाश गुप्ता (पत्रकार), डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी मार्ग, खरसिया जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

TC

ओमप्रकाश


(ए. के. त्रिवेदी)

जनसूचना अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नया रायपुर (छ.ग.)

PS-RL INVESTIA (496651)
 PS-RL # R2276000221
 Counter No:1, RP-Code:12
 Postal Service
 28/07/2018 15:39
 1599634



PT Pos Indonesia

